<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर</u>

प्रकरण संख्या 150/2012 (रैफरैन्स–82 एल आर एक्ट)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर। ....प्रार्थी

<u>बनाम</u>

दामोदर पुत्र श्यामलाल ब्राहमण निवासी करावली तहसील वैर जिला भरतपुर।
.......................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त करने आवंटन व नामान्तरकरण संख्या 336 आराजी खसरा नम्बर 436/2 रकबा 3.10 वीघा वारानी वाकै ग्राम करावली तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थितः– 1. राजकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 23.2.2018

प्रार्थी तहसीलदार वैर (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 82 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् निरस्त करने आवंटन आ0ख0नं0 436/2 रकबा 3.10 वीघा गै0मु0 नला,वारानी ग्राम करावली तहसील वैर जिला भरतपुर विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है। बाद न्यायिक कार्यवाही बाबजूद सूचना अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। नियत दिनांक को पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार के द्वारा अप्राथी के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे अंकित विवादित आ0ख0नं0 436/2 रकबा 3.10 वीघा राजकीय भूमि ग्राम करावली तहसील वैर जिला भरतपुर जो सार्वजनिक उपयोग की है उक्त रकबा किस्म गै0मु0 नला दर्ज है। सार्वजनिक उपयोग की गैरमुमकिन नला आराजी का प्रचलित कानून के प्रावधानो के विरूद्व आवटंन/नियमन किया गया है। जबकि ऐसी भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत वर्जित भूमि है जिसका आवटंन/नियमन किया जाना विधि विरूद्व है। यह कि आराजी के संदर्भ में आराजी का आवंटन दिनांक 3.11.1977 को अप्रार्थी को किया गया है जिसका गैर खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 336 दर्ज हुआ आवंटन आदेश गुर्जर आरक्षण में अग्निकाण्ड में जलने के कारण संलग्न नहीं है। यद्यपि अस्थाई आवंटन आदेश संलग्न नहीं है किन्तु नकल जमाबन्दी 2018–2021 एवं नकल जमाबन्दी सम्बत 2066–2069 नकल नामान्तरकरण संख्या 336 जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य है जब आधार–हीन आवंटन ही निरस्त योग्य है तो एवं उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण भी निरस्तनीय है। आधारहीन आदेश के तहत खोले जाने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। जनहित रिट याचिका 1536/2003 – अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय राजस्थान के उच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण मे सार्वजनिक उपयोग की

Web Copy Not Official

आराजी गैर मुमकिन नदी/पोखर के किये गये आवटंन एव नियमन को विधि विरूद्व माना गया है। कथनों के समर्थन में पत्रावली में नकल जमाबन्दी सम्बत 2018–2021, सम्बत 2066–2069 एव नामान्तरकरण संख्या 336 की प्रमाणित प्रतियां प्रतियां संलग्न की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मंण्डल अजमेर को प्रेंषित किया जावे।

हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आ0ख0नं0 436/2 रकबा 3.10 वीघा गै0मु0 नला राजकीय भूमि वाकै ग्राम करावली तहसील वैर जिला भरतपुर जो सार्वजनिक उपयोग की है संलग्न रिकार्ड नकल जमाबन्दी सम्बत 2018–2021, सम्बत 2066–2069 एव नामान्तरकरण संख्या 336 की प्रमाणित प्रतियों से यह साबित होता कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नला/वारानी अंकित है। जिसका आवंटन भी विधि विरूद्ध है तथा उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 336 भी एक आधारहीन आदेश के तहत खोले जाने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। वहालत मौजूदा रिकार्ड से उक्त विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन नला होना स्पष्ट प्रमाणित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी सार्वजनिक भूमि का आवटन/नियमन किया जाना वर्जित है। जनहित रिट याचिका 1536/2003 अब्दुल रहमान सरकार मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पारित निर्णय अनुसार सार्वजनिक उपयोग कि भूमि पर किये आवंटन / नियमन को विधि विरूद्ध मानते हुये भूमि को वापिस सार्वजनिक उपयोग मे भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। जब आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानो के विरूद्ध एवं निरस्त योग्य रहता है तो उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण गैर खातेदारी/खातेदारी/बयानामा निरस्त योग्य रहते है। पैरोकार सरकार के कथनो से हम सहमत है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रा0भू0रा0अधि0 1956 की धारा 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित की जाती है। विवादित आ0ख0नं0 436/2 रकबा 3.10 वीघा गै0मु0 नला वाकै ग्राम करावली तहसील वैर जिला भरतपुर का अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जावे तथा आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण सं0 336 शून्य होने के कारण निरस्त किये जावे। तथा विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड मे पूर्व की भांति गैर मुमकिन नला दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे । निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। असल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.2.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर